



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062021-227806
CG-DL-E-23062021-227806

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2261]
No. 2261]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 22, 2021/आषाढ़ 1, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 22, 2021/ASHADHA 1, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

का.आ. 2439(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट O/o डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर वेस्ट त्रिपुरा अगरतला (रिंग रोड) के कि.मी. 0 से कि.मी. 24.718 त्रिपुरा राज्य में अगरतला शहर के पश्चिमी पक्ष पर चार लेन बाईपास के लिए (कि.मी. 0.00 से कि.मी. 24.718) भारतमाला परियोजना के तहत एनएच कॉन्फिगरेशन के साथ और त्रिपुरा राज्य में एनएच-08 से एनएच-108बी की कनेक्टिविटी के तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

त्रिपुरा राज्य में अगरतला शहर (0.00 कि.मी. से 24.718 कि.मी.) के पश्चिमी पक्ष पर फोर लेन बाईपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट & कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Ring Road के कि.मी. 0 से 24.718 तक	त्रिपुरा	वेस्ट त्रिपुरा	देवेन्द्र चंद्र नगर	1 देवेन्द्र चंद्र नगर
						2 लिंबूचेरा
						3 लक्ष्मीलुंगा
					एस एम नगर	1 कुरुपुकुर
						2 मधुपुर
						3 इचाचंद्र नगर
						4 निश्चिन्तपुर
						5 माधवपुर
					बदरघाट	1 बल्लबपुर
						2 चरिपरा
						3 बेलाबर
						4 लक्ष्मीपुर
						5 गजरिया
					राम नगर	1 राम नगर
						2 गोल चक्कर
						3 कालिकापुर
						4 शनमुरा
						5 सामालुंगा
					बरजला	1 बरजला
						2 चांदनीमुरा
						3 मध्य भुवनबन
					लंकामुरा	1 लंकामुरा

						2	उषा बाजार
						3	नरसिंहगढ़
						4	सिंगारबिल
					गांधीग्राम	1	गांधीग्राम

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Teliamura/DPR/12(38)/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2021

S.O. 2439 (E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 24.718 of O/o District Magistrate & Collector West Tripura Agartala (Ring Road) in the State of TRIPURA for four-lane bypass on western side of Agartala City (Km. 0.00 to Km. 24.718) with NH configuration under Bharatmala project and connectivity of NH-08 to NH-108B in the State of TRIPURA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway on Four lane bypass on western side of Agartala City
(Km. 0.00 to Km. 24.718) in the State of TRIPURA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional District Magistrate & Collector	0 KM. To 24.718 KM.	TRIPURA	West Tripura	Debendra Chandra Nagar	1 Debendra Chandra Nagar 2 lembuchara 3 Laxmilunga
					S. M. Nagar	1 Kurupkur 2 Madhupur 3 Ishanchandranagar 4 Nishchintapur 5 Madhabpur
					Badharghat	1 Ballabpur 2 Charipara 3 Belabar 4 Laxmipur 5 Gajaria
					Ramnagar	1 Ramnagar

						2	Golchakkar
						3	Kalikapur
						4	Shanmura
						5	Samalunga
					Barjala	1	Barjala
						2	Chandnimura
						3	Madhya Bhubanban
					Lankamura	1	Lankamura
						2	Usha Bazar
						3	Narshingarh
						4	Singarbil
					Gandhigram	1	Gandhigram

[F. No. NHIDCL/PMU-Teliamura/DPR/12(38)/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director